

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 01 / 2022–23

क्रमांक: एफ ७(०५) भर्ती / A.P./Med. Edu./EP-I/2020-21/Part-II/02

दिनांक : 01.04.2022

आयोग के सं.वि.स. 06 / 2021–22 दिनांक 27.11.2021 की पद क्रम संख्या 28 पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य – Medical Oncology के 04 पद विज्ञापित किये गये थे। विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2022 द्वारा अब पदों की संख्या में वृद्धि कर कुल पदों की संख्या 08 कर दी गई है। अतः पदों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सहायक आचार्य – Medical Oncology के पदों हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

- उक्त 08 पदों का नवीनतम संशोधित वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

Post S.No.	No. of Post(s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S				Horizontal Reservation			
		समान्य	सा.म.	विधवा	परिवर्तिता	समान्य	सा.म.	विधवा	परिवर्तिता	समान्य	सा.म.	विधवा	परिवर्तिता	समान्य	सा.म.	विधवा	परिवर्तिता	समान्य	सा.म.	विधवा	परिवर्तिता	समान्य	सा.म.	विधवा	परिवर्तिता	P.H. (One leg lower limb)	Ex- service man		
28	08	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

- उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply Online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् S.M.S. के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- देकर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। इसी तरह आयोग द्वारा परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए फोटो एवं नाम के अतिरिक्त किसी भी संशोधन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन कर सकता है। उक्त अवधि में संशोधन नहीं किये जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी का स्वयं का दायित्व होगा व इसके पश्चात् अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06 / 2021–22 दिनांक 27.11.2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में वर्ग इत्यादि का ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06 / 2021–22 दिनांक 27.11.2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था परन्तु वांछित आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें “Editing as per corrigendum point No. 5” Option में Yes विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जायेगा।
- इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के आयु की गणना नियमानुसार दिनांक 01.01.2023 को आधार मानकर की जायेगी।
- आयोग के सं.वि.स. 06 / 2021–22 दिनांक 27.11.2021 द्वारा विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली संवीक्षा परीक्षा में आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
- उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व शेष अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी।

(एच.एल. अटल)
सचिव